अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान..........रमेश..वगैरह..............................बनाम.............................सरकार...वगैरह....................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2023	रिव्यू प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के अपील संख्या 46/2016 बउनवान रामसहाय, रामदयाल, राजू पुत्रान बंशी जाति बैरवा निवासी काशीपुरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर करौली , प्रधानाध्यापक रा0 मा0 वि. काशीपुरा मे निर्णय पारित करते हुए दिनांक 14.01.21 को अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की गई और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के निर्णय 08.06.2016 मुकदमा नंबर 72/2013 को यथावत रखा गया।	
	प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा राजस्व कैम्प 08.06.2016 में वादी वकील को बहस समाअत किए बगैर ही निर्णय पारित किया गया।	
	राज्य सरकार के आदेशानुसार सन् 2000 तक कि अतिक्रमणों को "रेगलाईज" किया जाना चाहिए था, और "Occupied Land" को भी आवंटित नही करना चाहिए था परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन पर कानुनी दृष्टिकोंण की व्याख्या किए बिना ही निर्णय पारित किया है, और नियमन की कार्यवाही भी संबंधित उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा नही की गई है। इन आधारो पर पुनरीक्षण अपील का निर्णय पुनः पारित किया जावें।	
	उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेंजो को अवलोकन किया गया, आलौच्य आदेश का भी अवलोकन किया गया, आलौच्य आदेश के पृष्ठ संख्या 03 मे बिंदु संख्या 06 इस प्रकार है कि " विवादित आराजी खसरा नंबर 188 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा बाबत् अपील संख्या 12/2004 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उनवानी रमेश वगैरह बनाम ग्राम पंचायत काशीपुरा वगैरह दिनांक 16.11.2015 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित की गयी थी। इस निर्णय अनुसार विवादित आराजी को ग्राम पंचायत काशीपुरा के खाते से हटाकर सिवायचक भूमि दर्ज की गयी थी। अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। इसके आधार पर किसी प्रकार के हक हकूक का निर्धारण नहीं होता है। सिवायचक दर्ज होने के बाद जिला कलेक्टर करौली द्वारा दिनांक 17.05.2013 को इस भूमि को रा0 मा0 विद्यालय काशीपुरा को भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटित की गयी है। न्यायालय हाजा के द्वारा अपील संख्या 90/2013 उनवानी रमेश वगैरह बनाम जिला कलेक्टर करौली वगैरह निर्णय दिनांक 29.07.2013 को अपील सारहीन होने के कारण खारिज कर दी गयी। इसके विरूद्व अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गयी है, जो वर्तमान मे जैरकार है। अपीलार्थी द्वारा खसरा परिवर्तित निर्धारण (पी–35) प्रस्तुत किये है, इनमें अपीलांट मात्र अतिकमी की हैसियत रखते है। इससे किसी प्रकार के अधिकार प्रोदभूमि नही होते है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.06.2016 विस्तृत विश्लेषण उपरान्त पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही हैं। इसलिए अपील खारिज योग्य है। "

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 में अपील पुनरावलोकन से संबंधित प्रावधान निम्नानुसार हैः–

"बोर्ड और अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने की शक्ति– सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबंधो के अध्यधीन–

(1) बोर्ड अपनी स्वप्रेरणा से या वाद अथवा कार्यवाही के पक्षकारों के आवेदन पर स्वयं द्वारा या उसके सदस्यों में से किसी के द्वारा की गई डिक्री या किये गये आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसे विखण्डित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगा, और

(2) बोर्ड से भिन्न प्रत्येक राजस्व न्यायालय, ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री, आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिए सक्षम होगा।"

इसी प्रकार सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 में अपील पुनरावलोकन से संबंधित निम्न प्रावधान हैः–

पुनर्विलोकन– पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो–

(क) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, किन्तु जिसकी कोई अपील नही की गई है,

(ख) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा

(ग) ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है,

अपने को व्यथित मानता है वह डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवदेन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।"

आलौच्य आदेश के अवलोकन से जाहिर आया कि न्यायालय हाजा के द्वारा विवादित आराजीयात से ही संबंधित अपील संख्या 90/2013 उनवानी रमेश वगैरह बनाम जिला कलेक्टर करौली वगैरह निर्णय दिनांक 29.07.2013 को अपील सारहीन होने के कारण खारिज कर दी गयी। इसके विरूद्व अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान.....रमेश..वगैरह.....बनाम.....सरकार...वगैरह.....

द्वितीय अपील पेश की गयी है, जो वर्तमान मे जैरकार है। चूंकि विवादित आराजीयात पर समान विषयवस्तु से संबंधित द्वितीय अपील माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे वर्तमान मे जैरकार है। अतः अपील स्वीकार करना विधि विपरीत है। अपील अपीलांट खारिज योग्य पाए जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो, निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

(हरिराम मीना) 12/6/23

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner